RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
दिसंबर
19
2024

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

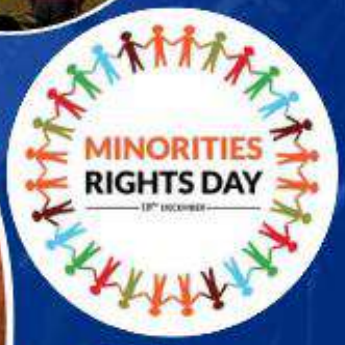

By Ankit Avasthi Sir

भारत, ईरान और आर्मेनिया त्रिपक्षीय वार्ता / India, Iran and Armenia Trilateral Dialogue

हाल ही में भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य आपसी सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजना था।

मुख्य चर्चा बिंदु:

1. **संपर्क बढ़ाने की रणनीतियाँ:**
   - अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के तहत सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति बनी।
   - चाबहार बंदरगाह की भूमिका को क्षेत्रीय संपर्क में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में रेखांकित किया गया।
2. **वैश्विक मंचों पर सहयोग:**
   - तीनों देशों ने वैश्विक मंचों में अपनी सामूहिक भागीदारी बढ़ाने और प्रभाव को मजबूत करने के उपायों पर विचार किया।
3. **क्षेत्रीय स्थिरता और शांति:**
   - क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख घटनाक्रमों और सुरक्षा मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श हुआ।
4. **व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंध:**
   - व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक योजनाओं पर चर्चा की गई।
   - आपसी संबंध और लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने के प्रयासों पर जोर दिया गया।
5. **आर्मेनिया की संपर्क परियोजना:**
   - आर्मेनिया ने अपनी "द क्रॉसरोड्स ऑफ पीस" परियोजना का विवरण साझा किया, जिसका उद्देश्य कैस्पियन सागर को भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी को काला सागर से जोड़ने वाले परिवहन मार्गों को विकसित करना है।

उज़्बेकिस्तान जैसे देश INSTC और चाबहार बंदरगाह का उपयोग कर बाजार पहुंच बढ़ाने में रुचि दिखा रहे हैं। यह पहल चीन की विवादित क्षेत्रों से गुजरने वाली बेल्ट एंड रोड परियोजना का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है, जिसका भारत विरोध करता है।

चाबहार बंदरगाह क्या है?

- **स्थान:** ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित गहरे पानी का बंदरगाह।
- **महत्व:** फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पास स्थित, यह भारत के गुजरात के कांडला बंदरगाह से लगभग 550 समुद्री मील दूर है।
- **ढांचा:** इसमें दो टर्मिनल हैं - शाहिद बेहेश्ती (भारत की निवेशित परियोजना) और शाहिद कलंतरी।
- **क्षमता:** पूर्ण विकास के बाद 82 मिलियन टन वार्षिक माल ढुलाई क्षमता।

भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच सहयोग के बढ़ते आयाम:

भारत और ईरान के संबंध:

- भारत और ईरान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं।
- चाबहार बंदरगाह दोनों देशों के बीच एक प्रमुख संपर्क केंद्र है।
- भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास में सहायता के लिए $25 मिलियन के उपकरण, जिनमें छह मोबाइल हार्बर क्रेन शामिल हैं, प्रदान किए हैं।
- यह बंदरगाह भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग और ईरान के लिए फारस की खाड़ी से जुड़ने का वैकल्पिक रास्ता प्रदान करता है।

ईरान और आर्मेनिया के संबंध:

- ईरान और आर्मेनिया की आपस में सीमा साझा है और उनके बीच मजबूत आर्थिक और कूटनीतिक संबंध हैं।
- पिछले वर्ष ईरान ने आर्मेनिया के कापन शहर में एक वाणिज्य दूतावास खोला।
- दोनों देश व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें आर्मेनिया ईरान को यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट मार्ग प्रदान करता है।

त्रिपक्षीय सहयोग की संभावनाएँ:

- भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग व्यापार, निवेश, ऊर्जा और परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा।

ब्लैक होल / Black holes

हाल ही में हुए एक शोध ने ब्लैक होल के गुणों (properties) को मापने का एक नया तरीका सुझाया है। इस विधि में, ब्लैक होल से टकराने पर उत्पन्न प्रकाश की प्रतिध्वनियों (इको) का विश्लेषण करके उनकी विशेषताओं का पता लगाया जाता है।

मुख्य बिंदु:

1. **गुरुत्वीय लेंसिंग:**
   - जब प्रकाश ब्लैक होल के पास से गुजरता है, तो ब्लैक होल के प्रबल गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश मुड़ जाता है। इसे गुरुत्वीय लेंसिंग कहते हैं।
2. **प्रकाश की प्रतिध्वनियाँ:**
   - गुरुत्वीय लेंसिंग से प्रकाश की प्रतिध्वनियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
3. **विभिन्न मार्गों से गुजरता प्रकाश:**
   - ब्लैक होल के पास से गुजरने वाला प्रकाश विभिन्न रास्तों से गुजर सकता है।
   - कुछ प्रकाश किरणें सीधे दर्शक तक पहुँचती हैं, जबकि अन्य ब्लैक होल के चारों ओर घुमने के बाद वापस अपने मार्ग पर लौटती हैं।
4. **लाइट इको की परिभाषा:**
   - इस प्रक्रिया में प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर अलग-अलग समय पर पहुँचती हैं। पहले पहुँची किरण के बाद आने वाली किरण उसकी प्रतिध्वनि कहलाती है।
5. **लंबी-आधार रेखा इंटरफेरोमेट्री:**
   - वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया है कि ब्लैक होल के द्रव्यमान और घूर्णन को मापने के लिए प्रकाश प्रतिध्वनियों का उपयोग किया जा सकता है।
   - इसके लिए "लंबी-आधार रेखा इंटरफेरोमेट्री" नामक तकनीक का उपयोग करने की योजना है, जो विभिन्न समयों पर पहुँचने वाली किरणों के बीच हस्तक्षेप पैटर्न का विश्लेषण करती है।
6. **आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत:**
   - अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत ने भी प्रकाश प्रतिध्वनि की इस घटना की भविष्यवाणी की थी।

सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत (General Theory of Relativity - GTR):

परिचय: सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रस्तुत गुरुत्वाकर्षण का एक मौलिक सिद्धांत है।

- **मुख्य बिंदु:**
  1. **अंतरिक्ष-समय की वक्रता:**
     - विशाल पिंड अंतरिक्ष-समय में वक्रता उत्पन्न करते हैं। इस वक्रता के कारण अन्य पिंड घुमावदार मार्ग पर चलते हैं।
  2. **प्रकाश की गति का स्थायित्व:**
     - प्रकाश की गति सभी जड़त्वीय संदर्भ फ्रेमों में स्थिर रहती है। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रेक्षक की स्थिति या गति चाहे जो हो, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रकाश की गति समान रहेगी।

ब्लैक होल क्या है?

- **परिभाषा:**
  - ब्लैक होल एक अत्यधिक घना पिंड है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता।
  - इसका कोई ठोस सतह नहीं होता; यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पदार्थ अपने ही भार से संकुचित हो जाता है।
- **निर्माण:**
  - यह तब बनता है जब एक विशाल तारा अपना ईंधन समाप्त कर लेता है और उसके केंद्र का गुरुत्वाकर्षण बल इतना बढ़ जाता है कि वह अपने आप में ढह जाता है।
- **केंद्र (सिंगुलैरिटी):**
  - ब्लैक होल का केंद्र एक गुरुत्वीय सिंगुलैरिटी होता है, जहाँ सामान्य भौतिकी के नियम काम नहीं करते।

प्रकाश प्रतिध्वनि (Light Echo):

- **परिभाषा:**
  - यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी दूर स्थित खगोलीय पिंड से निकलने वाला प्रकाश (जैसे तारा या आकाशगंगा) अंतरिक्ष में धूल या अन्य संरचनाओं से टकराकर वापस पृथ्वी तक पहुँचता है।
- **महत्त्व:**
  - वैज्ञानिक प्रकाश प्रतिध्वनि का उपयोग ब्लैक होल के द्रव्यमान और घूर्णन को मापने के लिए कर सकते हैं।
  - ब्लैक होल के चारों ओर की सामग्री और विकिरण के कारण इसकी विशेषताओं को मापना कठिन होता है, लेकिन प्रकाश प्रतिध्वनि सिग्नल-टू-नॉइज़ अनुपात को सुधार सकती है।

भारत में एआई-संचालित निगरानी / AI-Powered Surveillance in India

भारत निगरानी प्रणाली में एआई को अपनाने में अग्रणी है। यह तकनीकी एकीकरण कानून प्रवर्तन को आधुनिक बनाने के लिए एक सकारात्मक कदम है, लेकिन उपयुक्त कानूनी ढांचे के अभाव में यह नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से गोपनीयता के अधिकार, के उल्लंघन का कारण बन सकता है।

मुख्य बिंदु:

- 2019 में भारतीय सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बनाने की घोषणा की थी।
- अगले पांच वर्षों में, योजना वास्तविकता में बदल गई है, जिसमें रेलवे स्टेशनों पर एआई-आधारित निगरानी प्रणाली और दिल्ली पुलिस द्वारा अपराध निगरानी के लिए एआई का उपयोग शामिल है।
- 50 एआई-शक्ति वाले उपग्रहों की योजना बनाई जा रही है, जो भारत की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करेंगे।

भारत में ए.आई. निगरानी से संबंधित मौजूदा कानूनी ढांचे:

1. **संविधानिक प्रावधान:**
   - अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता का अधिकार।
   - K.S. Puttaswamy केस (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में पहचाना।
   - गोपनीयता में सूचना गोपनीयता भी शामिल है।
2. **डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDPA):**
   - 2023 में लागू हुआ।
   - डेटा गोपनीयता और सहमति प्रबंधन को नियंत्रित करता है।
   - आलोचना: सरकार को सहमति के बिना डेटा संसाधित करने की छूट, खासकर चिकित्सा और रोजगार संबंधी मामलों में।
3. **ए.आई. निगरानी के लिए विशिष्ट नियमों की कमी:**
   - कोई व्यापक कानून नहीं है।
   - **डिजिटल इंडिया एक्ट** के तहत भविष्य में नियमों का वादा, लेकिन अभी तक कोई मसौदा नहीं है।

भारतीय संदर्भ:

1. भारत में निगरानी की क्षमताएँ तेजी से बढ़ रही हैं, जिसमें 50 ए.आई.-संचालित उपग्रहों की योजना और सार्वजनिक प्रणालियों में ए.आई. का समाकलन शामिल है।
2. तेलंगाना पुलिस डेटा उल्लंघन जैसे मामले व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को उजागर करते हैं, खासकर कल्याण योजनाओं (जैसे "समग्र वेदिका") के माध्यम से एकत्रित डेटा।
3. मौजूदा कानूनी ढांचे डेटा संग्रहण और ए.आई. के उपयोग में पारदर्शिता, न्यायिक निगरानी, या जिम्मेदारी सुनिश्चित करने में असफल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ:

1. **यूरोपीय संघ (EU):**
   - यूरोपीय संघ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है:
     - ए.आई. अनुप्रयोगों को अस्वीकार्य, उच्च, पारदर्शिता या न्यूनतम जोखिम के रूप में वर्गीकृत करता है।
     - कानून प्रवर्तन के लिए वास्तविक समय बायोमेट्रिक पहचान पर कड़े शर्तों के तहत प्रतिबंध लगाता है।
2. **संयुक्त राज्य अमेरिका:**
   - निगरानी कानून जैसे FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) बताते हैं कि अत्यधिक निगरानी की संभावना और कड़े सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।

नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रभाव:

1. **गोपनीयता का उल्लंघन:** बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के, डेटा संग्रहण से सूचना गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है।
2. **भेदभाव:** पक्षपाती ए.आई. प्रणालियाँ सामाजिक असमानताओं को बढ़ा सकती हैं।
3. **डेटा उल्लंघन:** कमजोर सुरक्षा उपाय साइबर हमलों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं।
4. **विश्वास की हानि:** नागरिक सार्वजनिक संस्थाओं पर विश्वास खो सकते हैं।

ऋण जाल कूटनीति / Debt Trap Diplomacy

हाल ही में, 2024 की अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में दुनिया के कुल द्विपक्षीय बाह्य ऋण का 25% से अधिक चीन के पास था, जिससे वह विश्व का प्रमुख ऋण वसूलकर्ता बन गया।

- इसने चीन द्वारा इस्तेमाल की जा रही ऋण जाल कूटनीति को लेकर चिंताएं उत्पन्न की हैं।
- दो दशकों पहले, जापान, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम वैश्विक उधारी में प्रमुख थे, जबकि चीन बहुत कम ऋण प्रदान करता था।

ऋण जाल कूटनीति (Debt Trap Diplomacy):

ऋण जाल कूटनीति एक रणनीति को दर्शाती है, जिसमें एक देश दूसरे देश को अत्यधिक ऋण प्रदान करता है, जिससे बाद में उस देश के लिए अपनी कर्ज की अदायगी करना कठिन हो जाता है।

- इस स्थिति में, ऋणी देश को अपनी संपत्तियों पर नियंत्रण या अपने घरेलू और विदेशी नीतियों पर प्रभाव को ऋणदाता देश को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

ऋण जाल कूटनीति के परिणाम:

1. **ऋण पर निर्भरता:**
   - चीन से ऋण लेने वाले देश भारी कर्ज में डूब जाते हैं।
   - इससे वे चीन के आर्थिक दबाव और राजनीतिक प्रभाव के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
2. **संपत्ति का नियंत्रण:** ऋण चुकता नहीं करने पर देश महत्वपूर्ण संसाधन या बुनियादी ढांचा चीन को सौंपने के लिए मजबूर हो सकते हैं।
   - उदाहरण: श्रीलंका ने हंबनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए चीनी कंपनी को पट्टे पर दिया।
3. **रणनीतिक प्रभाव:** चीन को अफ्रीका, दक्षिण एशिया, और दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी भू-राजनीतिक ताकत बढ़ाने का मौका मिलता है।
   - इससे इन देशों की संप्रभुता पर असर पड़ता है।
4. **बुनियादी ढांचा परियोजनाएं:**
   - चीन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं बड़ी बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं (सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों) पर आधारित होती हैं।
   - ये परियोजनाएं विकास को बढ़ावा देती हैं, लेकिन साथ ही कर्ज का बोझ बढ़ता है।
5. **ऋण पुनर्गठन:**
   - चीन ने कुछ देशों से ऋण पुनर्गठन वार्ता की है।
   - इन वार्ताओं में पारदर्शिता की कमी की आलोचना की जाती है।

चीन की ऋण जाल नीति से प्रभावित देश:

1. **श्रीलंका:** $8 बिलियन के कर्ज से जूझ रहा है, जिसके कारण हंबनटोटा पोर्ट को चीन को 99 साल के लिए पट्टे पर देना पड़ा।
2. **पाकिस्तान:** लगभग $22 बिलियन का कर्ज है, जो इसके द्विपक्षीय ऋण का 60% के करीब है।
3. **लाओस:** $6 बिलियन का कर्ज है, जो इसके द्विपक्षीय ऋण का 75% से अधिक है।
4. **एंगोला:** $17 बिलियन का कर्ज है, जो इसके बाहरी ऋण का 58% है।

भारत के लिए चिंताएँ:

1. **चीन का बढ़ता प्रभाव:**
   - छोटे देशों जैसे नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका पर चीन का बढ़ता ऋण और प्रभाव।
   - इससे चीन का क्षेत्रीय प्रभुत्व बढ़ता है, जो भारत की सुरक्षा आकांक्षाओं के खिलाफ है।
   - भारत का लक्ष्य दक्षिण एशिया में एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता बनने का है, जिसे चीन का बढ़ता प्रभाव चुनौती दे रहा है।
2. **इंडो-पैसिफिक रणनीति के लिए चुनौती:**
   - चीन का ऋण जाल नीति क्षेत्र में उसकी आक्रामकता को बढ़ावा देती है।
   - यह नीति भारत और अन्य देशों के लिए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और खुले मार्ग की कल्पना के खिलाफ जाती है।
3. **भारत की संप्रभुता के खिलाफ:**
   - चीन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएँ, जैसे कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), जो भारत के क जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती हैं, भारत की संप्रभुता पर प्रत्यक्ष हमला हैं।
   - इस परियोजना के जरिए चीन पाकिस्तान के साथ अपने प्रभाव को और बढ़ाना चाहता है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है।

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस / Minority Rights Day

हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन धार्मिक अल्पसंख्यकों के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा करने के लिए समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में धार्मिक विविधता को सम्मानित करना और अल्पसंख्यक समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।

इतिहास और महत्व:

1. **संयुक्त राष्ट्र द्वारा अल्पसंख्यक समूह की परिभाषा:**
   - संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, अल्पसंख्यक समूह वह समुदाय होते हैं जिनका सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक प्रभुत्व नहीं होता और वे किसी विशेष देश में संख्यात्मक दृष्टि से कम होते हैं।
2. **अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का महत्व:**
   - 18 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र ने धार्मिक या भाषाई राष्ट्रीय या जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बयान अपनाया।
   - अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता और समान अवसरों का अधिकार सुनिश्चित करता है और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करता है।

भारतीय संविधान में प्रावधान:

1. **धारा 29:**
   - सभी नागरिकों को अपनी अलग संस्कृति, भाषा, या लिपि को संजोने का अधिकार देती है।
   - महत्व: यह विविध सांस्कृतिक पहचानों को मान्यता देती है और समानता और गरिमा सुनिश्चित करती है।
2. **धारा 30:**
   - धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देती है।
   - **न्यायिक व्याख्या:**
     - सुप्रीम कोर्ट ने धारा 30 को समानता और भेदभाव न करने के सिद्धांतों से जोड़ा है।
     - हाल के फैसले (जैसे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 2024) ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखने की पुष्टि की है।
3. **धारा 350 A:** यह अपने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की अनिवार्यता तय करती है।
4. **धारा 350 B:** भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान करती है।
5. **अन्य समर्थन:** संविधान विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों का समर्थन करता है, जैसे नागा समुदाय के पारंपरिक कानून।

अल्पसंख्यक (Minority):

1. **संविधान में परिभाषा:** "Minority" शब्द की संविधान में कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है।
2. **न्यायिक व्याख्या:** सुप्रीम कोर्ट ने TMA Pai Foundation (2002) जैसे मामलों में राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया है।
   - **उदाहरण:** पंजाब और उत्तर-पूर्वी राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक माने जाते हैं।
3. **अल्पसंख्यक संस्थानों के संकेतक:**
   - संस्थापक का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की सेवा करना।
   - संचालनात्मक तत्व जैसे वित्त, बुनियादी ढांचा और प्रशासन।
4. **न्यायिक सुरक्षा:** अल्पसंख्यक संस्थान स्वायत्तता का आनंद लेते हैं, लेकिन वे निगरानी से मुक्त नहीं होते:
   - **दुरुपयोग निषेध:** सरकारें संस्थागत मानकों को बनाए रखने के लिए नियम लागू कर सकती हैं।
   - **निष्पक्ष सहायता:** धारा 30(2) अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ भेदभाव करने से मना करती है जब सहायता दी जाती है।
5. **अल्पसंख्यक अधिकारों का तर्क:**
   - **विविधता का संरक्षण:** इन अधिकारों का उद्देश्य सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना है, जो केवल एक सक्षम वातावरण में ही फलती-फूलती है।
   - **व्यक्तिगत बनाम समूह अधिकार:** व्यक्तिगत समानता (धारा 14-18, 19, 25) समूह पहचान के बिना अधूरी है।
   - **न्यायिक टिप्पणियाँ:** न्यायालयों ने हमेशा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष संरक्षण की आवश्यकता को महत्वपूर्ण माना है।
6. **आधुनिक भारत में महत्व:**
   - **संविधानिक धरोहर:** धारा 25-30 भारत के बहुलवाद के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं।
   - **वैश्विक प्रासंगिकता:** यह अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों, जैसे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, के अनुरूप है।

The Supreme Court Expands Powers of National Investigation Agency (NIA)

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को गैर-अधिसूचित अपराधों (Non-scheduled offences) की जांच करने का अधिकार है, यदि वे एनआईए अधिनियम, 2008 के अधिसूचित अपराधों (Scheduled offences) से जुड़े हुए हैं।

एनआईए अधिनियम, 2008 के मुख्य बिंदु:

1. **एनआईए अधिनियम, 2008** में उन अधिसूचित अपराधों की सूची दी गई है, जिनकी जांच एनआईए कर सकती है।
2. इन अपराधों में शामिल हैं:
    - **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962**
    - **विमान अपहरण (रोध) अधिनियम, 1982**
    - **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) आतंकवाद-रोध अधिनियम, 1993**
    - **गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967**

केस की पृष्ठभूमि:

1. **NIA अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराध:**
    - NIA अधिनियम में आठ कानूनों के अंतर्गत अपराधों को अनुसूचित अपराध (Scheduled Offences) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
    - यूएपीए (UAPA) 1967 इस सूची में शामिल है।
2. **आरोप:**
    - एनआईए ने आरोप लगाया कि आरोपी, वांछित आरोपी का मुख्य सहयोगी है, जिसके खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप दर्ज किए गए थे।
    - मामले में मादक पदार्थ और मनोदैहिक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के तहत भी अपराध शामिल थे, जो NIA अधिनियम के अनुसूचित अपराधों की सूची में नहीं हैं।
3. **मामला:**
    - एनआईए को UAPA के तहत जांच सौंपी गई थी और साथ ही NDPS अधिनियम से जुड़े मामलों की जांच करने का निर्देश दिया गया।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA):

1. **स्थापना:**
    - NIA की स्थापना NIA अधिनियम, 2008 के तहत 26/11 मुंबई हमलों के बाद एक केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में की गई थी।
2. **मुख्य कार्य:**
    - NIA भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच और अभियोजन करती है।
    - मुख्यालय: नई दिल्ली
    - यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है।
3. **एनआईए (संशोधन) अधिनियम, 2019:**
    - मानव तस्करी, साइबर-आतंकवाद और निषिद्ध हथियारों की बिक्री/निर्माण जैसे अपराधों की जांच के लिए NIA के अधिकार बढ़ाए गए।
    - इसका अधिकार क्षेत्र भारत के बाहर भी बढ़ाया गया।
4. **संबंधित पहल:**
    - राष्ट्रीय आतंक डेटा फ्यूजन और विश्लेषण केंद्र (NTDFAC) की स्थापना बिग डेटा एनालिटिक्स सक्षम करने के लिए की गई।
    - आतंकवाद फंडिंग और नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) की जांच के लिए NIA को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया।

महत्वपूर्ण धारा: धारा 8 (NIA अधिनियम, 2008):

- संबद्ध अपराधों की जांच का अधिकार: NIA अनुसूचित अपराधों की जांच करते समय किसी अन्य अपराध की जांच भी कर सकती है, बशर्ते वह अपराध अनुसूचित अपराध से जुड़ा हो।

आर्कटिक टुंड्रा / Arctic tundra

एक नए अध्ययन से पता चला है कि आर्कटिक टुंड्रा, जो कभी स्थिर कार्बन का भंडार था, अब कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और मीथेन (CH_4) गैसों का स्रोत बन गया है।

आर्कटिक टुंड्रा कार्बन कैसे संग्रहित करता है?

1. **कार्बन का अवशोषण (फोटोसिंथेसिस के माध्यम से)**: आर्कटिक टुंड्रा में पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के जरिए अवशोषित करते हैं।
2. **अपघटन धीमा होना**: अन्य पारिस्थितिक तंत्रों की तुलना में, आर्कटिक टुंड्रा की अत्यधिक ठंड जैविक पदार्थों (मृत पौधों और जानवरों) के अपघटन की प्रक्रिया को बहुत धीमा कर देती है।
3. **पर्माफ्रॉस्ट कार्बन को फंसाता है**: पौधों और जानवरों के अवशेष पर्माफ्रॉस्ट में जमे रहते हैं। पर्माफ्रॉस्ट वह मिट्टी है, जो कम से कम दो लगातार वर्षों तक जमी रहती है। इससे कार्बन वातावरण में उत्सर्जित होने से बचा रहता है।
4. **दीर्घकालिक कार्बन भंडारण**: यह प्रक्रिया हजारों वर्षों तक कार्बन को फंसा कर रखती है और इसे वातावरण में वापस जाने से रोकती है।
5. **आर्कटिक मिट्टी का महत्व**: आर्कटिक मिट्टी में 1.6 ट्रिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्बन संग्रहित है, जिससे यह क्षेत्र वैश्विक कार्बन चक्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनता है।

टुंड्रा अब अधिक कार्बन क्यों छोड़ रहा है?

1. **बढ़ते तापमान**:
   - आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत से चार गुना तेजी से गर्म हो रहा है।
   - पर्माफ्रॉस्ट पिघलने से निष्क्रिय माइक्रोब्स सक्रिय हो जाते हैं, जो जैविक पदार्थ को तोड़ते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और मीथेन (CH_4) छोड़ते हैं।
   - मीथेन की मात्रा CO_2 की तुलना में कम है, लेकिन यह 100 साल की अवधि में 25 गुना अधिक प्रभावी ग्रीनहाउस गैस है।
2. **जंगल की आग बढ़ना**:
   - हाल के वर्षों में आर्कटिक में रिकॉर्ड तोड़ जंगल की आग देखी गई है।
   - 2024 जंगल की आग उत्सर्जन के लिए दूसरा सबसे बड़ा वर्ष था।
   - आग सीधे वातावरण में कार्बन छोड़ती है और पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने को तेज करती है।
   - जंगल की आग का धुआं बर्फ और बर्फ की सतह को गहरा करता है, जिससे वे कम सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं और अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं, जिससे तापमान और तेजी से बढ़ता है।

परिणाम:

1. **वैश्विक तापमान वृद्धि में तेजी**:
   - आर्कटिक का कार्बन भंडार से कार्बन स्रोत बनना एक फीडबैक लूप पैदा करता है। इससे अधिक उत्सर्जन होता है, जो तेज गर्मी और पर्माफ्रॉस्ट के और अधिक पिघलने का कारण बनता है।
2. **वैश्विक जलवायु लक्ष्यों पर प्रभाव**:
   - अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन के कारण पेरिस समझौते के तहत 1.5°C तापमान सीमा को बनाए रखना और कठिन हो गया है।
3. **समुद्र के स्तर में वृद्धि**:
   - पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना ग्लेशियरों के पिघलने में योगदान करता है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है और दुनिया भर में तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा होता है।

रोकने के उपाय:

1. **सख्त उत्सर्जन कटौती**:
   - ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करके आर्कटिक गर्मी और पर्माफ्रॉस्ट पिघलने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है।
   - इसके लिए आवश्यक कदम:
     - वनों की कटाई को रोकना।
     - नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना।
2. **वैश्विक जलवायु सहयोग**: देशों को पेरिस समझौते जैसे समझौतों के तहत अपने उत्सर्जन कटौती के वादों को पूरा करना होगा।
3. **निगरानी और रोकथाम**: आर्कटिक पर लगातार शोध और निगरानी से स्थानीय रणनीतियों को विकसित किया जा सकता है, जो कमजोर पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

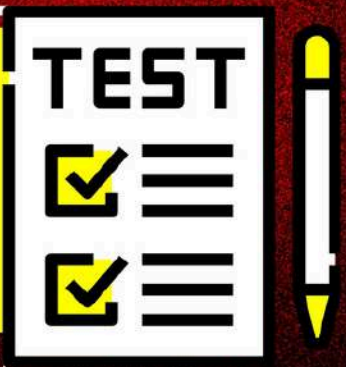

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !